



2026:AHC-LKO:42118

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - - 4750 सन् 2026

लवकुश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसके प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार निषाद

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना-मनकापुर, जिला-गोंडा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 205/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (आगे 'अधिनियम 1986' के रूप में संदर्भित) के तहत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि गंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ चार मामले दर्शाए गए हैं, जिनमें उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इस मामले के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि लोक व्यवस्था को बाधित करने तथा अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के आवेदक पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट और मनगढ़ंत हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण दर्शाता है कि आरोप लंबित आपराधिक मामले (मामलों) पर आधारित हैं, न कि किसी नए आरोप (आरोपों) या तथ्य (तथ्यों) की खोज पर, जिसका बड़े पैमाने पर समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिन कारणों से 1986 का अधिनियम प्रख्यापित किया गया था। उन्होंने जोड़ा कि पुलिस 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग आवेदक को प्रताड़ित करने और डराने के लिए एक हथियार के रूप में कर रही है और आगे, यह भी प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जो अनावश्यक और अनुचित है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए वे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और वह न तो किसी गिरावट का सदस्य है और न ही नेता।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 22-05-2026 से जेल में बंद है और वह अधिनियम 1986 के तहत अपराध का दोषी नहीं है तथा वह वचन देता है कि वह जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कभी नहीं करेगा और जमानत की शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा। इसलिए, तर्क यह है कि आवेदक जमानत का हकदार है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि गंग चार्ट में उल्लेखित मामले (मामलों) में आवेदक जमानत पर है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि आवेदक 22-05-2026 से जेल में बंद है और आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है तथा उसने वचन दिया है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, समर्थक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक - **लवकुश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो मुचलके प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (1) आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव बनाकर या अन्यथा अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह तय प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-A के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है;
- (3) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने तथा (iii) धारा 313 Cr.P.C. के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; और
- (4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 Cr.P.C. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानतदारों की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने और आवेदक को जेल भेजने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

25 जून, 2026

एकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।